UPRN180016562023

न्यायालय सिविल जज(जू०डि०) घाटमपुर, कानपुर देहात

मूल वाद सं० 89/2023

रामदास बनाम अनूपा यादव आदि

दिनांक – 01/08/2023

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थना पत्र 6 ग 2 शपथ पत्र 7 ग 2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी०पी०सी० वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा सूची 9 ग के साथ दाखिल प्रपत्रों का पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा/ निरस्तीकरण हेतु संस्थित किया गया है।

प्रथम दृष्टया मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना प्रतिवादीगण को प्रार्थना पत्र 6 ग 2 पर सुनवायी का सम्यक अवसर दिये हुए एक पक्षीय रूप से वादी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा का व्यादेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। आपत्ति आमंत्रित हो।

वाद वास्ते आपत्ति/निस्तारण प्रार्थना पत्र 6 ग 2 हेतु दिनांक 14/09/2023 को पेश हो। वादी उभय भांति पैरवी करे।

सिविल जज(जू०डि०)
घाटमपुर, कानपुर देहात
यू०पी० 3349

Digitally signed by INDIRA DANU
Date: 2023.08.01 15:53:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court